सत्र प्रकरण क्र. 188/2019
शासन वि. आकाश
(साक्षी क्रमांक 05–लोकेश साहू)

II-157
C.J.

Witness no. ....**05**..........for ....**अभियोजन साक्षी**..............Deposition taken

the........day of.........**12.02.2024**..........Witness's apparent age............**36 वर्ष**........

States on affirmation.......**शपथपूर्वक**.......My name is... **लोकेश साहू**

Son of......**स्व. डोमार सिंह साहू**...occupation...... **पटवारी**

addres-........**चंगोराभाठा, थाना डी.डी.नगर, जिला रायपुर छ0ग0**

1– मैं मौजा ग्राम देवपुरी प0ह0नं0 73, रा0नि0मं0 रायपुर 10, तहसील व जिला रायपुर छ0ग0 में वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक पटवारी के पद पर पदस्थ था। थाना टिकरापारा पुलिस ने अपराध क्रमांक 364 /2019, धारा 307, 34 भा0दं0सं0 के प्रकरण में पटवारी नक्शा के लिये तहसीलदार रायपुर को दिनांक 10.06.2019 को आवेदन प्रेषित किया था। तहसीलदार रायपुर के निर्देश पर मैंने दिनांक 18.07.2019 को घ टनास्थल पहुंचकर प्रार्थी निर्मल रायकवार की उपस्थिति में मैंने घटनास्थल देवपुरी यूनियन बैंक का पटवारी नक्शा तैयार किया था।

2– मैंने घटनास्थल को लाल स्याही से निशान लगाकर चिन्हाकिंत किया था। मेरे द्वारा तैयार की गई पटवारी नक्शा **प्रपी–3** है, जिसके अ से अ भाग पर कार्यालय की सील सहित मेरे हस्ताक्षर हैं। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्राप्त पावती तहरीर **प्रपी–4** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री यू.के.पाण्डेय अधिवक्ता वास्ते आरोपी बिरेन्द्र कुमार :–</u>

3– यह कहना सही है कि थाना टिकरापारा पुलिस वाले तहसीलदार को दिये गये तहरीर को दिनांक 18.07.2019 को मैंने प्राप्त किया था और उसी दिनांक को घटनास्थल का मैंने नक्शा तैयार किया था। मैं यह नही बता सकता कि प्रपी–4 की तहरीर मुझे किस समय प्राप्त हुई थी। प्रार्थी निर्मल रायकवार, मुझे घटनास्थल पर मिला था। निर्मल रायकवार को पुलिस वाले घटनास्थल पर लेकर आये थे।

II-157
C.J.

Witness no. ....**05**...........for ....**अभियोजन साक्षी**..............Deposition taken

4– यह कहना सही है कि घटना दिनांक के लगभग दो माह बाद मैंने प्रपी– 3 तैयार किया था। यह कहना सही है कि घटनास्थल पर मौजूद गवाह ने जैसा मुझे घटनास्थल बताया था, मैं उसी के अनुसार प्रपी– 3 का नजरीनक्शा तैयार किया था। यह कहना गलत है कि मैंने अपने मन से नजरीनक्शा तैयार किया था। यह कहना सही है कि मैंने अपने प्रपी–3 में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि गवाह कैसे उपस्थित हुआ था। स्वतः कहा कि गवाह को पुलिस वाले लेकर आये थे। मैं यह नहीं बता सकता कि उक्त गवाह को पुलिस वाले कहां से उठाकर लाये थे।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अमर यादव अधिवक्ता वास्ते आरोपी आकाश उर्फ अक्कु :–</u>

4– कुछ नहीं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती लक्ष्मी सैनी अधिवक्ता वास्ते आरोपी रामखिलावन :–</u>

5– कुछ नहीं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जे.एल. सोनबेर अधिवक्ता वास्ते आरोपी नागेश्वर सिंह :–</u>

6– कुछ नहीं।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया। **मेरे निर्देश पर टंकित।**

सही होना स्वीकार किया।

सही/–
(ममता पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर
ट्रायल ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

सही/–
(ममता पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर
ट्रायल ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर ....

कविता सोनी
स्टेनो